संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:-3 /11//2021

क्रमांक 4916 /टीसी/64/इन्दौर/उपां/नग्रानि/2021 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इन्दौर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	रंगवासा तहसील राऊ जिला इन्दौर	643/5 एवं 647	3.565 मे से 2.2022	आवासीय	औद्योगिक (गैर प्रदूषणकारी उद्योग के अन्तर्गत टॉय क्लस्टर हेतु)
		योग:-	3.565 हेक्टर मे से 2.2022 हेक्टेयर		

नोट :- 1. कलेक्टर जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 747 दिनांक 07.08.2010 में उल्लेखित शर्तो का पालन आवश्यक होगा।

2. स्थल पर ऐसे उद्योग स्थापित होंगे जो सफेद श्रेणी के है एवं कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

E:\23 k 1 k Sadak Paribehan 18-03-2021.docx